सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 715 राँची, गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

4 मई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-79/2016-309 (HRMS)-- श्री निर्मल कुमार टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-659/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास, बोकारो, संप्रति-निलंबित के विरूद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NIRMAL KUMAR TOPPO 223929	श्री निर्मल कुमार टोप्पो को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है.

विवरण:

श्री निर्मल कुमार टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-659/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चास, बोकारो, संप्रति-निलंबित के विरूद्ध उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक-2070/गो०, दिनांक 5 जुलाई, 2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं -

आरोप सं०-1. बोकारो जिला के चास अंचल के मौजा तेतुलिया, थाना नं०-38, थाना सेक्टर-12, खाता नं०-59, प्लॉट नं०-426/450, कुल रकबा 103 एकड़ साविक सर्वे खतियान मुताबिक गैर मजरूआ खास किस्म जंगल साल के रूप में दर्ज है । वर्ष 1958 में प्रश्नगत भूमि को प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है । आरोप है कि इस भूमि के राजस्व अभिलेखों के जाँच-पड़ताल किये बिना एवं अधिसूचित वन भूमि का गलत ढंग से उत्तराधिकारी नामान्तरण कर दिया गया । वर्ष 1997 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, जिसमें खतियान में जंगल-झाड़ी के रूप में दर्ज भूमि को वन भूमि घोषित किया गया है, की अनदेखी कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया गया है । उत्तराधिकारी नामान्तरण के पश्चात् लगान रसीद निर्गत करने का आदेश निर्गत करना एवं इसके पश्चात् भूमि की खरीद-बिक्री के उपरांत पुनः 7 व्यक्तियों के नाम से दाखिल खारिज करने, सरकारी एवं राजस्व हितों के प्रतिकूल कार्य किये जाने का आरोप है ।

आरोप सं०-2. आरोप है कि उत्तराधिकारी नामांतरण की प्रक्रिया दिनांक 15 जून, 2012 को प्रारंभ हुई । इसी बीच दिनांक 26 जून, 2012 को अनियमित रूप से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से विधिसम्मत नहीं है । इस प्रकार का प्रमाण पत्र अवैधानिक एवं अनियमित है, क्योंकि जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उसका आधार पुरूलिया अवर निबंधक कार्यालय से संबंधित है । बिना अभिलेख की जांच किए एवं बगैर सत्यापन के इस प्रकार का प्रमाण पत्र निर्गत करना राजस्व कार्यो में स्वेच्छाचारिता एवं मनमानापन को दर्शाता है । इस प्रकार का कृत्य सरकार एवं राजस्व हितों के प्रतिकूल है।

आरोप सं०-3. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक 234/आ.गो०, दिनांक 8 जून, 2012 द्वारा निर्गत निदेश, जो सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण/जमाबंदी को रोकने के संबंध में दी गई है एवं इसकी प्रति अपर समाहर्ता, बोकारो द्वारा ज्ञापांक 1205/रा०, दिनांक 23 जून, 2012 द्वारा सभी अंचल अधिकारी को दी गई है । आरोप है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्पष्ट निदेश के बावजूद भी वन भूमि का दाखिल खारिज किया गया है । यह कृत्य सरासर वरीय पदाधिकारियों के निदेश की अवहेलना, सरकारी एवं राजस्व हितों के प्रतिकूल है ।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-9986, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 द्वारा श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. पुनः, श्री टोप्पो के विरूद्ध अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा के अधिसूचित पद पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोपों को विभाग द्वारा पूरक प्रपत्र- 'क' में गठित किया गया, जो निम्नवत् है -

"(क) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 5765/रा०, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री निर्मल कुमार टोप्पो, अधिसूचित अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर, सिमडेगा का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं०-1870, दिनांक 4 मई, 2016 द्वारा अंचल अधिकारी, चास, बोकारो से स्थानांतरित करते हुए अंचल अधिकारी ठेठईटांगर, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया गया है । श्री टोप्पो अंचल अधिकारी, चास बोकारो के पद से विरमित हो चुके हैं परन्तु इन्होंने अभी तक अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर सिमडेगा के पद पर योगदान नहीं किया है । वर्तमान में श्री टोप्पो कहाँ है- इसकी जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं है ।

(ख) श्री टोप्पो बिना सूचना एवं अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है ।

(ग) श्री टोप्पो का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है ।"

4. उक्त पूरक प्रपत्र-'क' को विभागीय पत्रांक-139, दिनांक 6 जनवरी, 2017 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को श्री टोप्पो के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित कर समेकित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-169, दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में उक्त प्रपत्र-'क' एवं पूरक प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया ।

6. श्री टोप्पो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-10716, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा श्री टोप्पो से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

7. श्री टोप्पो से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 26 नवम्बर, 2017 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 7 दिनों के भीतर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अंतिम रूप से समर्पित करने का निदेश किया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि उत्तर अप्राप्त रहने पर यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा विभाग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा । फिर भी इनका उत्तर अप्राप्त रहा ।

8. इस प्रकार श्री टोप्पो को युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के बावजूद द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया ।

9. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-424, दिनांक 15 जनवरी, 2018 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-1426, दिनांक 22 फरवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री टोप्पो को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में सहमति की माँग की गयी ।

10. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-650, दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा श्री टोप्पो को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति प्रदान की गयी है।

11. दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री टोप्पो को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

12. अतः श्री टोप्पो को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 715 -- 50